

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारसीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 115/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोतीराम पुत्र प्रभूराम उम्र 52 वर्ष		1 अचला पुत्र केना उम्र 80 वर्ष
2. भल्लाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 48 वर्ष		2 जैसा पुत्र केना उम्र 75 वर्ष
3.नेनाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 44 वर्ष		3 रतना पुत्र गिरधारी उम्र 68 वर्ष
जातियान जाट निवासी पनोणियो का		4. मला पुत्र गिरधारी उम्र 62 वर्ष
तला, होडू तहसील सिणधरी जिला		5. पना पुत्र कालू उम्र 26 वर्ष
बाडमेर		6. पैमा पुत्र कालू उम्र 22 वर्ष
		7 लक्ष्मण पुत्र कालू उम्र 30 वर्ष
		8 लौली पत्नि कालू उम्र 50 वर्ष
		9.रंगछा पुत्र कालू उम्र 12 वर्ष नाबालिग
		जरिये वली माता लाली जातियान जाट
		निवासी पनोणियो का तला, होडू तहसील
		सिणधरी जिला बाडमेर
		10 शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण
		बैंक शाखा होडू
		11. भूमि पति तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति-

- 1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादीगण की ओर से अनुपस्थित।
- 2.प्रतिवादी समस्त एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 19.12.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 45,46,46/2 व 64 कुल रकबा 14.7643 हैक्टेयर मौजा पनोणियो का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 19.05.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उपस्थित पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोणियो का तला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45,46,46/2 व 64 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

प्रमोद कुमार
सहायक कलक्टर
सिणधरी

क्र. सं.	नाम खातेदार	व्यवस्था नं.	पुस्तक नं.	पान नं.	पान नं.
1	मोतीराम 1/3 गुल्लाराम 1/3 नेमाराम 1/3 जाति जाट साठ देह खातेदार रहन- मोतीराम का हिस्सा R.M.G.B शाखा होश्र के पक्ष	46/2 64	2 93226 0.0171 3.6324	बा.दो.	बा.दो.
2	अबलाराम 1/3 जैभाराम 1/3 केनाराम 1/9 रतनाराम 1/9 मलाराम 1/45 पि. निरधाराराम रणछाराम 1/45 पेमाराम लाली पत्नि कालाराम 1/45 जाति जाट सा. देह खातेदार	45 46	7.3824 0.0324 3.7174 3.6324	बा.दो.	बा.दो.
	योग-	64	7.3822		

वहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण नामांतरकरण बाद जांच तस्दीक करें, सलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तस्दीक अंकित कर, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पूर्वा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

दस्तावेज में लिखी

(आदेश 29 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलक्टर सिंगधरी

पीठासीन अधिकारी: - श्री मनोद कुमार आर.ए.

समय

सदरीय

रकम

प्रतिवादीय

1. सीमा शुल्क का 50%
2. बचत शुल्क का 50%
3. न्यायालय शुल्क का 50%
4. जमानत के लिए जमानत प्रमाणिका का ताला, ईट्टू तहसील सिंगधरी जिला हाइकोर्ट

1. प्रमाण शुल्क का 50%
2. न्यायालय शुल्क का 50%
3. सजा शुल्क सिंगधरी जिला हाइकोर्ट
4. बचत शुल्क सिंगधरी जिला हाइकोर्ट
5. न्यायालय शुल्क का 50%
6. न्यायालय शुल्क का 50%
7. न्यायालय शुल्क का 50%
8. न्यायालय शुल्क का 50%
9. न्यायालय शुल्क का 50% एवं न्यायालय जमानत वाली माला वाली जमानत के लिए जमानत प्रमाणिका का ताला, ईट्टू तहसील सिंगधरी जिला हाइकोर्ट
10. न्यायालय शुल्क का 50% एवं न्यायालय जमानत वाली माला वाली जमानत के लिए जमानत प्रमाणिका का ताला, ईट्टू तहसील सिंगधरी जिला हाइकोर्ट
11. भूमे पॉले तहसीलदार सिंगधरी


वादा संख्या - 53/188 आर.टी.एक्ट

सूचना संख्या - 115/2021

निर्णय दिनांक - 19.12.2023

वादीय की ओर से श्री मंदरलाल सारंग अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एक्टरका ने इस वाद में आज तारीख 19.12.2023 को श्री मनोद कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिंगधरी के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए पत्र होने पर निर्णय किया जाता है और लिखी दी जाती है कि-वादीय का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 19.12.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोखा की जाती है। तहसीलदार सिंगधरी को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अन्त दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा प्रकाशन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन
सहायक कलक्टर सिंगधरी

वाद के खर्चे

वादीय	रुपया	प्रतिवादीय	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शनी के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़